संख्या-312/2020/103/22-2-2018-17(240)/2011

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 17 अगस्त, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पातीराम पुत्र श्री त्रिलोक, निवासी-जिला-शाहजहांपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-745/प्रोबे0-5-द0या0/बैठक 17-12-2017 दिनांक 05-01-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पातीराम पुत्र श्री त्रिलोक, मियांपुर गोटिया, थाना-सेहरामऊ दक्षिणी, जिला-शाहजहांपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 18.02.1980 को 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी और बन्दूक से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस0टी0न0 59/1980 धारा 302/149, 325/34, 323/34 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 11.09.1980 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 16.11.2017 तक 15 वर्ष 10 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 01 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। मेडिकल बोर्ड द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है, किन्तु पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की पूर्ण संभावना होने, रिहा होने पर शान्ति व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना होने, अपराध करने में अशक्त प्रतीत नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है, दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रकृति व जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी पातीराम (बन्दी संख्या-36475) पुत्र श्री त्रिलोक, निवासी-जिला-शाहजहांपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-312/2020/103(1)/22-2-2018 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in